कार्यालयः— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

—::आदेश::—

क्रमांक 260 / दो—11—7 / 25 नर्मदापुरम, दिनांक 06.03.2026

श्रीमती भावना गौर, स्टेनोग्राफर, न्यायालय प्रथम जिला एवं सेशन न्यायाधीश पिपरिया का कार्यालय आदेश कमांक 81 दिनांक 17.01.2026 द्वारा स्वीकृत प्रसूति अवकाश की निरंतरता में रजिस्ट्री पृष्ठांकन कमांक सी / 57 / चार—8—70 / 2025 जबलपुर दिनांक 07.01.2026 के साथ संलग्न म0प्र0 शासन वित्त विभाग के अधिसूचना कमांक 315 भोपाल दिनांक 24.11.2025 के अनुसार म0प्र0 सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2025 के नियम 40 के उपनियम (1) के अंतर्गत, मात्र दिनांक 07.03.2026 से 05.05.2026 तक कुल 60 दिवस का संतान पालन अवकाश, स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदिका के संतान पालन अवकाश लेखे में 670 दिवस का स्वत्व शेष है।

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)

पृ0क0 1101 / दो—11—7 / 25 नर्मदापुरम, दिनाक 06.03.2026

यथाआदेश प्रतिलिपिः—

01. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, इटारसी की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
02. प्रथम जिला एवं सेशन न्यायाधीश पिपरिया की ओर सूचनार्थ एवं श्रीमती भावना गौर, स्टेनोग्राफर,को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।
03.. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

6/3/26

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)